

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/22


जयपुर, दिनांक: 01.07.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-


क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	अभिषेक गुप्ता	कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर	कनिष्ठ विधि अधिकारी उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
2.	कमलेन्द्र कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण (आई.टी.आई) जोधपुर	श्री विकास कुमार के स्थान पर
3.	विकास कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण (आई.टी.आई) जोधपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर	रिक्त पद पर
4.	जयदीप सिंह देवड़ा	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी अग्नि अभियंता (याचिका) जोधपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासन आत्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शार न सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव